न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	–	रविन्द्र कुमार, R.J.S. (DJ Cadre)
सेशन प्रकरण संख्या	–	163/2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	233/2024 पुलिस थाना कोतवाली चूरू
अनुवान	–	सरकार बनाम दीपक शर्मा
सीएनआर नम्बर	–	RJCH010014322024

आदेश अन्तर्गत धारा 250 व 251 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थितिः–

1. श्री रोशन सिंह राठौड़, योग्य लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।
2. श्री पंकज प्रजापत, योग्य अधिवक्ता – परिवादी पक्ष की ओर से।
3. श्री महेश प्रताप सिंह राठौड़, योग्य अधिवक्ता – अभियुक्त की ओर से।

– आ दे श –

दिनांक – 07 जनवरी, 2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 18.09.2024 को परिवादी योगेश कुमार द्वारा पुलिस थाना कोतवाली चूरू में उपस्थित होकर एक दरख्वास्त इस आशय की दरख्वास्त दी गई उसकी पत्नी पूनम की मृत्यु दिनांक 04.09.2024 को सायं 06 से 07 बजे के बीच में मन्दिर में हो गई थी। उसकी पत्नी की मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है परन्तु उसे पूरा अन्देशा है कि मन्दिर के पुजारी श्री दीपक शर्मा ने उसकी पत्नी पूनम की गला दबा कर हत्या कर दी। आदि आदि उक्त दरख्वास्त के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 233/2024 जुर्म दफा 103(1) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसन्धान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 103(1) व 238(क) बी०एन०एस० में आरोप पत्र दिनांक 28.10.2027 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जो इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से इस न्यायालय में उपार्पित किया गया जो दिनांक 08.11.2024 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस आरोप उभय पक्ष सुनी गई।

3. विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की यह बहस रही

है कि अनुसन्धानकर्ता द्वारा अनुसन्धान के दौरान एकत्रित की गई साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 103(1) व 238(क) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। उनका यह भी निवेदन है कि आरोप विरचित के स्तर पर साक्ष्य का विस्तृत रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती है। पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृतका की गला दबाकर दम घुटने से उसकी मृत्यु होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने की पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त को तद्नुसार आरोपित किये जाने का निवेदन किया गया।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह निवेदन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 14 दिन विलम्ब से दर्ज हुई है जो विधिक राय लेकर दर्ज करवाई गई है। उनका यह भी निवेदन है कि अभियुक्त की मृतका या उसके परिवारजन के साथ कोई पूर्व की रंजिश होने की भी साक्ष्य नहीं है तथा जो प्रेम प्रसंग से अभियुक्त को मृतका की हत्या के अपराध से जोड़ा गया है, उस सम्बन्ध में जो साक्ष्य एकत्रित की गई है जो मैन्यूप्लेटड है क्योंकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जो अभियुक्त को मृतका के साथ घटना कारित करते हुए देखा गया हो या मृतका के साथ अभियुक्त को कभी भी देखा गया हो। जबकि अभियुक्त मन्दिर का पुजारी है, जहाँ अनके महिलाएँ पूजा के लिए आती जाती रहती है। केवल मात्र कयासों के आधार पर ही अभियुक्त को इस अपराध में मिथ्या संयोजित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध लैस मात्र भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं होने से उसे उक्त आरोपों से उन्मोचित किये जाने का निवेदन किया गया। अतः अभियुक्त को उपरोक्त आरोपों से उन्मोचित किये जाने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि आरोप विरचना के स्तर पर न्यायालय को अनुसन्धान के दौरान एकत्रित की गई साक्ष्य का विवेचन विचारण जैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से केवल मात्र यह देखना होता है कि आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध का गठन होता है अथवा नहीं। न्यायालय विचारण की तरह साक्ष्य का विवेचन/विश्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुँचने की भी आवश्यकता नहीं होती है कि जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, वह आरोपी की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है या नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह भी

सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रबल सन्देह के आधार पर भी आरोप विरचित किया जा सकता है।

6. उपरोक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत मामले की वस्तुस्थिति को तथा पत्रावली पर अनुसन्धान के दौरान एकत्रित की गई साक्ष्य को देखा जाए तो यह परिलक्षित होता है कि अभियोजन कहानी के अनुसार इस मामले में मृतका, की लाश जिस मन्दिर में मिली, उस मन्दिर का पुजारी अभियुक्त दीपक शर्मा था, जिस वजह से दोनों के मध्य आपस में अच्छी जान पहचान हो गई और दोनों के मध्य घनिष्ठता इतनी बढ़ गई कि अभियुक्त ने मृतका को अपने नाम से एक सिम जारी करवाकर दी और फोन, सोसियल मिडिया अकाउण्टस से बातचीत करने लगे और दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए। अनुसन्धान के दौरान एकत्रित साक्ष्य से यह भी प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अभियुक्त व मृतका के मध्य पिछले एक साल से प्रगाढ़ सम्बन्ध स्थापित हो गए और मृतका, अभियुक्त को उसकी पत्नी के पास नहीं जाने देती और उसे बदनाम करने की धमकियाँ देती, जिस वजह से दोनों में घटना वाले दिन लड़ाई–झगड़ा हो गया और अभियुक्त पर परिवादी की पत्नी की गला घौंटकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होती है जिसमें मृतका की मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया है। अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उससे यह भी प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि हत्या करने के उपरान्त अभियुक्त द्वारा अपने मोबाईल का समस्त डाटा, अपने अपराध को छुपाने के उद्देश्य से डिलीट कर दिया गया था तथा जो मोबाईल उसकी निशानदेही से बरामद भी हुआ है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा हत्या जैसे गम्भीर मामले में उन्मोचित किए जाने के जो आधार बताए गए हैं उनका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाली साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने के उपरान्त ही निष्कर्ष दिया जा सकता है। आरोप विरचना के स्तर पर साक्ष्य की सूक्ष्मता से व्याख्या नहीं की जा सकती जबकि प्रथम दृष्टया अपराध कारित किए जाने के सम्बन्ध में ही विवेचना करनी होती है। पत्रावली पर अपराधों की प्रमाणिकता के लिए उक्त आरोपों के सबसे महत्वपूर्ण घटक का समावेश प्रथम दृष्टया होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरूद्ध धारा 103(1) व 238(क) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिए गए अन्य तर्क विचारण की विषय–वस्तु है, आरोप विरचना के स्तर पर उक्त बिन्दुओं पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त दीपक शर्मा के विरूद्ध धारा 103(1) व 238(क) भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप लगाये जाने के पर्याप्त, प्रबल व ठोस आधार होने से अभियुक्त पर उक्त धाराओं में पृथक से आरोप विरचित किए जाने के आदेश दिए जाते है।

(रविन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

8. आदेश आज दिनांक 07 जनवरी, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)